



2026:AHC:38391

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी सं. - 4776 सन् 2026

संतोष कुमार त्रिपाठी

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

राजस्व परिषद् उ.प्र. लखनऊ और 3 अन्य

....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता(गण) : संजय अग्रवाल

प्रतिवादी के अधिवक्ता(गण) : सी.एस.सी., ओम प्रकाश सिंह

न्यायालय सं. - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांडेया

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, प्रतिवादी-राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता, श्री ओम प्रकाश सिंह, प्रतिवादी संख्या 3 के विद्वान अधिवक्ता को सुना और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।
2. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 34 के तहत शुरू की गई कार्यवाही में प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दिनांक 28.03.2024 का आदेश पारित किया गया था, जिस वर्तमान रिट याचिका में चुनौती दी गई है।
3. प्रतिवादी संख्या 3 के विद्वान अधिवक्ता श्री ओ.पी. सिंह द्वारा एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई है कि उपरोक्त आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ता के पास उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 210 के तहत प्रदान किए गए संशोधन को दायर करने के लिए वैधानिक वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है। इस संबंध में उन्होंने रिट सी संख्या **1284** सन् **2022** (फूलचंद और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और **5** अन्य) में इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 02.08.2022 के एक निर्णय और आदेश पर भी भरोसा किया।
4. उसी को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता के लिए उपलब्ध वैधानिक वैकल्पिक उपाय की उपलब्धता के आधार पर वर्तमान रिट याचिका खारिज की जाती है।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पांडेया)

फरवरी 20, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"